यमुना जल को ज़हरीला बताने के विरुद्ध मामला दर्ज

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने राजनीतिक पार्टी के नेता के विरुद्ध सोनीपत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत मामला दर्ज किया, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि हरियाणा से आने वाले **यमुना के जल में "ज़हर"** है।

मुख्य बिंदु

- **शिकायत दर्ज की गई:**
- **धारा 54, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: आपदाओं के संबंध में गलत चेतावनी देने पर सज़ा (1 वर्ष** तक की **कैद या जुर्माना)**।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 353 और 356:** साज़िशजनक शरारत और मानहानि।
- **भारत निर्वाचन आयोग की संलिप्तता:** भारत निर्वाचन आयोग ने दावे के संबंध में तथ्यात्मक और कानूनी आधार मांगते हुए साक्ष्य मांगे।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

- **परिचय:**
  - **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** को भारत सरकार ने **वर्ष 2005 में आपदाओं और इससे जुड़े अन्य मामलों के** कुशल **प्रबंधन के लिये पारित किया था। हालाँकि, यह जनवरी 2006** में लागू हुआ।
- **उद्देश्य:**
  - **आपदाओं का प्रबंधन करना,** जिसमें **शमन रणनीतियों** की तैयारी, **क्षमता निर्माण शामिल है।**
    - **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** की **धारा 2 (D)** में **"आपदा"** की परिभाषा यह है कि आपदा का अर्थ है "किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली **तबाही, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना।"**
- **अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **नोडल एजेंसी:** अधिनियम **गृह मंत्रालय को** समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संचालन के लिये **नोडल मंत्रालय** के रूप में नामित करता है।
  - **संस्थागत संरचना: यह राष्ट्रीय, राज्य** और **ज़िला स्तर** पर **संस्थाओं की** एक व्यवस्थित संरचना स्थापित करता है।
  - **राष्ट्रीय स्तर की महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ:**
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA):** इसका कार्य आपदा प्रबंधन नीतियाँ बनाना तथा समय पर एवं प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करना है।
    - **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC):** इसका गठन अधिनियम की **धारा 8 के तहत** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिये किया गया है।
      - NEC पूरे देश के लिये **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना** तैयार करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है कि इसकी वार्षिक समीक्षा की जाए तथा इसे अद्यतन किया जाए।
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM):** यह प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिये प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों हेतु एक संस्थान है।
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF):** यह प्रशिक्षित पेशेवर इकाइयों को संदर्भित करता है जिन्हें आपदाओं के लिये विशेष प्रतिक्रिया के लिये बुलाया जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/case-filed-against-poison-remark-on-yamuna-water